

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

¹[प्ररूप 12क
[नियम 20(2) देखिए]
निर्वाचन कर्तव्य प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

प्रेषिती-

रिटर्निंग ऑफिसर,

.....विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र.

महोदय,

मैं..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिए होने वाले निर्वाचन में
आपना मत स्वयं देना चाहता हूँ. लोक सभा

मुझे निर्वाचन-क्षेत्र में.....(मतदान केन्द्र का सं. और नाम) में निर्वाचन-कर्तव्य पर नियुक्त किया
गया है किन्तु मेरा नाम.....संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र
की निर्वाचक नामावली के भाग सं.....में क्रम सं..... पर प्रविष्ट है .

मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे प्ररूप 12 ख में एक निर्वाचन कर्तव्य प्रमाणपत्र, उस मतदान केन्द्र से जहां मतदान के
दिन मैं कर्तव्यारूढ़ रहूँगा, मत देने के लिए दिया जाए.

यह प्रमाण पत्र मुझे निम्नलिखित पते पर भेजा जाए

.....
.....
.....

स्थान.....

तारीख.

मोबाईल नं. (अनिवार्य)

भवदीय

.....]

1 अधिसूचना सं. का. आ. 565 (अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित.